"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 मई 2013—ज्येष्ठ 3, शक 1935

विषय-सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 2-10/2013/1/एक.—विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश पृ. क्रमांक 2763/1075/21-ब/छ.ग./2013 दिनांक 5-4-2013 द्वारा श्री प्रभात कुमार शास्त्री, उच्च न्यायिक सेवा (सुपर टाईम वेतनमान) की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर विधिक सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय के पद पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गई है. राज्य शासन एतद्द्वारा उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक उक्त पद पर पदस्थ/नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2013

क्रमांक एफ 1-62/2012/16.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ श्रम (राजपत्रित) सेवा नियम, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिए)

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विविध, शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	श्रम विभाग	श्रम पदाधिकारी (मुख्य निरीक्षक, मोटर यातायात अधिनियम)	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि.	
2.		महिला समाज कार्यकर्ता	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र में स्नातक की उपाधि.	
3.		सहायक संचालक (सूचना एवं प्रकाशन)	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा प्रकाशन कार्य का अनुभव.	
4.		अन्वेषण अधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, वाणिज्य सांख्यिकीय के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर.	
5.		सर्वे आफिसर	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, वाणिज्य या गणित में सांख्यिकी के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर.	
6.		सहायक संचालक औद्योगिक, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से इंजीनियरिंग या तकनीकी किसी भी शाखा में उपाधि अथवा समकक्ष उपाधि जो राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की गई हो.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	श्रम विभाग	सहायक संचालक (चिकित्सा)	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से एम.बी.बी.एस.	

टीप :— छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिल होगी."

No. F 1-62/2012/16.—In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Labour (Gazetted) Service Rules, 1985, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For Schedule-III, the following shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-III
(See rule 8)

S. No. (1)	Name of the Department (2)	Name of Service (3)	Minimum Age limit (4)	Maximum Age limit (5)	Prescribed Qualification (6)	Remarks (7)
1.	Labour Department	Labour officer (Chief Inspector, Motor Transport Act)	21 Year	30 Year	Bachelors Degree from any recognized University.	
2.		Women Social	21 Year	30 Year	Bechelors Degree from any recognized university in Sociology.	
3.		Assistant Director (Information and publication)	21 Year	30 Year	Bechelors Degree from any recognized university and work experience in publications.	
4.		Invention Officer	21 Year	30 Year	Post Graduation from any recognized University in Economics, Commerce of Mathematics with IInd division in Statistics.	
5.		Survey Officer	21 Year	30 Year	Post Graduation from any recognized University in Economics, Commerce of Mathematics with IInd division in Statistics.	
6.		Assistant Director Industrial Helth and Safety	21 Year	30 Year	Bechelors Degree in any branch of Engineering or Technology from a recognized university or institution or equivalent Degree approved by the State Government.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
7.	Labour Department	Assistant Director (Medical)	21 Year	30 Year	MBBS from any recognized University or institution recognized by Indian Medical Council.	

Note :—The age limit shall be relaxed for the condidates who are bonafide local resident of Chhattisgarh State as per instruction issued by the General Administration Department from time to time."

नया रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 10-25/2012/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-11-2012 द्वारा "संविदा श्रमिक राज्य सलाहकार मंडल" का गठन किया गया है, में श्रमिकों के प्रतिनिधि में सदस्य के रूप में श्री दीपक जायसवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल फ्रन्ट आफ इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन एवं श्री सत्येन्द्र नाथ दुबे, भारतीय मजदूर संघ, 2, उद्यान मार्ग, चौबे कालोनी, रायपुर को नामांकित करता है.

नया रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 1-27/2013/16.—श्रम विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-16/2011/16, दिनांक 31-12-2011 द्वारा अतिरिक्त श्रम न्यायालय रायपुर के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए आदेश क्रमांक एफ 1-16/2011/16, दिनांक 30-09-2011 जिसके अनुसार अतिरिक्त श्रम न्यायालय को अंतरित प्रकरणों के निराकरण की व्यवस्था प्रदान की गई थी, को कायम रखते हुए एतद्द्वारा श्रम न्यायालय रायपुर क्रमांक-2 के समक्ष अधिसूचना क्रमांक एफ 1-70/2010/16, दिनांक 30-09-2011 के द्वारा क्षेत्राधिकार के आवंटन की तिथि 30 सितंबर 2011 की स्थिति में लंबित प्रकरणों का निराकरण श्रम न्यायालय क्रमांक-2 के द्वारा ही किया जावेगा.

30 सितंबर, 2011 के पश्चात् संस्थित होने वाले प्रकरणों का निराकरण क्षेत्राधिकार आवंटन आदेश के अनुसार किया जावेगा. क्षेत्राधिकार आवंटन आदेश क्रमांक एफ 1-70/2010/16 दिनांक 30-09-2011 के पश्चात् श्रम न्यायालय रायपुर क्रमांक-1 के क्षेत्राधिकार से संबंधित यदि कोई प्रकरण श्रम न्यायालय, रायपुर क्रमांक-2 के पास प्रस्तुत हुआ हो, तो वे तत्काल प्रभाव से श्रम न्यायालय, रायपुर क्रमांक-1 को अंतरित किये जावेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 20-12/2013/ग्यारह/(छः).—राज्य शासन एतद्द्वारा, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 दिसम्बर 2012 से पांच वर्ष की अवधि अर्थात् 31-10-2017 तक के लिये लागू की है. "कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012" के प्रभावशील रहने की अवधि में इस नीति के अंतर्गत आने वाले उद्योग को यथासमय लागू औद्योगिक नीति के अनुरूप अन्य सुविधाएं/अनुदान यथा ब्याज अनुदान, स्थाई पूंजी निवेश अनुदान, औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आवंटन पर प्रब्याजि में छूट/रियायत, स्टाम्प शुल्क छूट, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेंट अनुदान, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु मार्जिन मनी अनुदान एवं औद्योगिक पुरस्कार योजना के लाभ संबंधित अधिसूचनाओं के अधीन प्रदान करने की स्वीकृति राज्य शासन एतद्द्वारा प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. बैजेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 0213

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलरों को नीचे दर्शाये अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

क्र.	बायलर क्र.	छूट की समयावधि
1.	M.P./3198	दिनांक 16-03-2013 से 15-06-2013 तक अर्थात् 03 माह
2.	M.P./3216	दिनांक 13-03-2013 से 12-09-2013 तक अर्थात् 06 माह

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ-3-62/गृह/2008/गृह-दो.—छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 38 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विभागीय समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 03 अप्रैल, 2013 द्वारा राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार का गठन किया गया है.

अतः उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन, राज्य शासन, एतद्द्वारा, राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार में निम्नानुसार सभापति एवं सदस्य की नियुक्ति उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए करता है :—

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. सी. व्यास, न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश. — सभापति

2. श्री अनिल एम. नवानी, — सदस्य
पुलिस महानिदेशक (सेवानिवृत्त), छत्तीसगढ़.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 1/27/दो-गृह/भापुसे/2011.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री के. के. अग्रवाल, भा.पु.से., सहायक पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को स्वयं के विभिन्न मेडिकल चेकअप एवं उपचार हेतु दिनांक 17-04-2013 से 10-05-2013 तक (कुल 24 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये श्री अग्रवाल, भापुसे को दिनांक 11 एवं 12-05-2013 विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ प्रदान किया जाता है.

2. श्री के. के. अग्रवाल, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री के. के. अग्रवाल, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, छ.ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. अग्रवाल, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, छ.ग. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 01-15/दो-गृह/भापुसे/2006.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री जे. के. थोरात, भापुसे (1998) पुलिस उप महानिरीक्षक, नक्सल ऑपरेशन, कांकेर को दिनांक 15-04-2013 से दिनांक 15-05-2013 (31 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 13 एवं 14-04-2013 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री थोरात आगामी आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, नक्सल ऑपरेशन, कांकेर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री थोरात, को वही वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व मिलते थे.

4. श्री जे. के. थोरात, भापुसे (1998) पुलिस उप महानिरीक्षक, नक्सल ऑपरेशन, कांकेर के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस उप महानिरीक्षक, नक्सल ऑपरेशन, कांकेर का प्रभार श्री पी. एस. बारा, उप पुलिस महानिरीक्षक, राजनांदगांव एवं धमतरी रेंज को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री थोरात, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव.

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ-4-101/गृह-सी/2007.—यत: राज्य सरकार छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2006) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-101/गृह-सी/07, दिनांक 13 अप्रैल, 2012 में वृद्धि करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) और उसके छ: अग्र (फ्रंट) संगठनों-दण्डकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ, क्रांतिकारी आदिवासी बालक संघ, क्रांतिकारी किसान कमेटी, महिला मुक्ति मंच, आर.पी.सी. अथवा जनताना सरकार को पुन: एक वर्ष की कालावधि के लिए विधि विरुद्ध संगठन के रूप में घोषित करती है.

यह अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल, 2013 से एक वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. असवाल, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ-4-101/गृह-सी/2007.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 12-04-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. असवाल, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 12th April 2013

No. F. 4-101/Home-c/2007. Whereas the State Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of Chhattisgarh Visesh Jan Suraksha Act, 2005 (No. 14 of 2006), extends the notification of this Department F. No. 4-101/Home-c/2007 dated 13 April 2012 and declares Communist Party of India (Maoist) and its Six front Dandkarayan Adhivasi Kishan Majdoor Sangh, Krantikari Adhivasi Mahila Sangh, Krantikari Adhivasi Balak Sangh, Krantikari Kishan Committee, Mahila Mukti Manch, R.P.C. & Jantana Sarkar Organisation as Unlawful Organisations for a Further period of one year.

This Notification will remain in force for one year with effect from 12 April 2013.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
N. K. ASWAL, Principal Secretary.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विक॰ विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 मई 2013

क्रमांक/एफ-19-63/25-1/2008.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28-02-2009 द्वारा श्री ए. मिंज, सेवानिवृत्त, राज्य प्रशासनिक सेवा को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति पर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वक्फ सर्वेक्षण कमिश्नर, रायपुर नियुक्त किया गया था. तत्पश्चात् पुन: विभागीय आदेश दिनांक 25-05-2012 द्वारा श्री मिंज की संविदा नियुक्ति की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की गई थी, जिसकी सेवा अवधि दिनांक 31-05-2013 को समाप्त हो जावेगी.

2. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ए. मिंज, सेवानिवृत्त, राज्य प्रशासनिक सेवा को छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम-2012 के प्रावधानानुसार पुन: कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 2-113/सात-1/2008.—यत: राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) (संक्षिप्त में संहिता) की धारा 59 के अधीन, छत्तीसगढ़ राज्य के किसी नगर या ग्राम में संहिता की धारा 59 की उप-धारा (5) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट भूमि से भिन्न कृषि भूमि को गैर-कृषि प्रयोजनों के लिये व्यपवर्तित करने पर, प्रीमियम की वसूली के प्रयोजन के लिए, प्रीमियम के अधिरोपण तथा निर्धारण के परिवर्तन संबंधी नियम (संक्षिप्त में नियम) निर्मित किये हैं;

और यत:, उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची वह दर विहित करती है, जिस पर प्रीमियम गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित भूमि पर उद्ग्रहीत किया जाता है, जो राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 175-6477-सात-एन (नियम), दिनांक 06 जनवरी, 1960 द्वारा संशोधित तथा समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 11-7-सात-एस-8-89, दिनांक 24 जनवरी, 2000 द्वारा पुन: संशोधित किया गया है;

और यत:, राज्य सरकार गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित भूमि पर नगर, गांव तथा एकीकृत नगरीय योजना/विशेष क्षेत्रों में प्रीमियम की वसूली के प्रयोजन के लिए विद्यमान अनुसूची-अ तथा अनुसूची-ब के प्रतिस्थापन द्वारा उक्त नियमों को संशोधित करना प्रस्तावित करती है;

अतएव, उक्त नियमों को और संशोधित करने हेतु निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, संहिता की धारा 258 की उप-धारा (1), सहपठित उप-धारा (2) के खण्ड (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, संहिता की धारा 258 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों, जिनके की इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस के अवसान पर विचार किया जावेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, महानदी भवन, कैपिटल काम्पलेक्स, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय पर प्राप्त हो, छत्तीसगढ़ शासन

द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

1. नियम 14 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"छत्तीसगढ़ राज्य के किसी नगर या ग्राम में संहिता की धारा 59 की उप-धारा (5) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट भूमि से भिन्न कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित करने पर, प्रीमियम की वसूली के प्रयोजन के लिए, इन नियमों से संलग्न अनुसूची-अ के कॉलम (1) में यथा दर्शित निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाएगा और उक्त अनुसूची के कॉलम (2), (3), (4), (5), (6) एवं (7) में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार प्रीमियम अधिरोपित किया जाएगा तथा इन नियमों से संलग्न अनुसूची-ब के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए, यथास्थिति, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार प्रीमियम अधिरोपित किया जाएगा."

2. नियमों से संलग्न अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची-अ तथा ब प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"अनुसूची-अ
(नियम 14 देखिए)

वर्ग (1)	आवासीय प्रयोजन (2)	आवासीय कालोनी/ परियोजना (3)	वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजन (4)	सार्वजनिक/ संस्थागत प्रयोजन (5)	विशेष आर्थिक क्षेत्र (6)	चिकित्सा सुविधाएं (7)
वर्ग-एक						
1. नगर निगम एवं नगर-पालिका क्षेत्र.	रु. 15.00 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.	रु. 20.00 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.	रु. 25.00 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.	रु. 20.00 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.	रु. 20.00 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.	रु. 15.00 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.
2. नगर निगम तथा नगर-पालिका क्षेत्र की बाह्य सीमा के 05 कि.मी. के अंदर.	रु. 10.00 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.	रु. 15.00 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.	रु. 20.00 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.	रु. 15.00 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.	रु. 15.00 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.	रु. 10.00 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.
वर्ग-दो						
नगर पंचायत का संपूर्ण क्षेत्र.	रु. 5.00 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.	रु. 7.50 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.	रु. 10.00 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.	रु. 7.50 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.	रु. 10.00 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.	रु. 7.50 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नगर पंचायत की बाह्य सीमाओं से 02 कि.मी. का क्षेत्र.	रु. 4.00 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.	रु. 5.00 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.	रु. 7.50 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.	रु. 5.00 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.	रु. 7.50 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.	रु. 5.00 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.
वर्ग-तीन						
ग्रामीण क्षेत्र	रु. 3.00 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.	रु. 4.00 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.	रु. 5.00 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.	रु. 4.00 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.	रु. 5.00 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.	रु. 4.00 प्रति वर्गमीटर या जिला मूल्यांकन समिति द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो.

अनुसूची-ब

(नियम 14 देखिए)

सरल क्रमांक	एकीकृत उपनगर योजना/अन्य निवेश एवं विशेष क्षेत्र का नाम	अधिरोपित की जाने वाली प्रीमियम की दरें
(1)	(2)	(3)
01	रायपुर, नया रायपुर	रुपये 100 प्रति वर्गमीटर
02	बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई	रुपये 80 प्रति वर्गमीटर
03	अन्य निवेश एवं विशेष क्षेत्र	रुपये 60.00 प्रति वर्गमीटर"

No. F 2-113/Seven-1/2008.—Whereas, the State Government has made rules under section 59 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) (in short Code) regarding alteration of Assessment and Imposition of Premium (in short rules), for the purpose of levy of premium on agricultural land other than the land specified in the proviso to sub-section (5) of section 59 of the Code diverted to non-agricultural purposes, in any towns or villages in the State of Chhattisgarh;

And whereas, Schedule appended to the said rules prescribes the rate on which premium is levied on the land diverted for non-agricultural purposes, which was amended by revenue departments notification No. 175-6477-VII-N (Rules), dated 6th January, 1960 and further amended vide notification No. F. 11-7-VII-S-8-89 dated 24th January, 2000;

And whereas, the State Government proposes to amend the said rules by substituting the existing Schedule with Schedule-A and Schedule-B for the purpose of levy of premium in towns, villages and integrated township planning/special areas on land diverted to non-agricultural purposes;

Now therefore, the following draft further to amend the said rules which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (iii) of sub-section (2) of Section 258 of the Code in hereby, published as required by sub-section (3) of Section 258 of the Code for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period, during office hours by the office of the Secretary, Department of Revenue and Disaster Management, Government of Chhattisgarh, Mahanadi Bhawan, Capital Complex, Mantralaya, New Raipur shall be considered by Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

1. For sub-rule (1) of rule 14, the following shall be substituted, namely :—

"(1) For the purpose of levy of premium of agricultural land other than the land specified in the proviso to sub-section (5) of Section 59 of the Code diverted to non-agricultural purposes, in any towns and villages in the State of Chhattisgarh shall be divided in to the following classes as in column (1) of Schedule-A appended to these rules and the premium shall be imposed according to the rates specified in column (2), (3), (4), (5), (6) and (7) of the Schedule-A of the said Schedule and for the areas specified in column (2) of the Schedule-B appended to these rules the primum shall be imposed according to the rates specified in column (3) of the said Schedule as the case may be."

2. For the Schedule appended to the rules, the following Schedule-A and B shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-A
(See Rule 14)

Classes (1)	Residential purpose (2)	Residential colony/ project (3)	commercial or industrial purpose (4)	Public/ Institutional propose (5)	Special Economic Zone (6)	Medical facility (7)
Class-1						
1. Municipal Corporation and Nagar Palika Area.	Rs. 15.00 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.	Rs. 20.00 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.	Rs. 25.00 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.	Rs. 20.00 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.	Rs. 20.00 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.	Rs. 15.00 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.
2. 5 Kms. within the Municipal Corporation and Nagar Palika Area.	Rs. 10.00 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.	Rs. 15.00 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.	Rs. 20.00 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.	Rs. 15.00 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.	Rs. 15.00 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.	Rs. 10.00 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
Class-2						
All area of Nagar Panchayat.	Rs. 5.00 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.	Rs. 7.50 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.	Rs. 10.00 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.	Rs. 7.50 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.	Rs. 10.00 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.	Rs. 7.50 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.
2Kms. away from the radius Nagar Panchayat.	Rs. 4.00 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.	Rs. 5.00 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.	Rs. 7.50 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.	Rs. 5.00 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.	Rs. 7.50 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.	Rs. 5.00 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.
Class-3						
Rural Areas	Rs. 3.00 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.	Rs. 4.00 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.	Rs. 5.00 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.	Rs. 4.00 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.	Rs. 5.00 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.	Rs. 4.00 per Square meter or 5% of rate District Valuation Committee of that year which even is more.

SCHEDULE-B
(See Rule 14)

S. No. (1)	Integrated sub-township scheme/name of other investment and special Area (2)	Rate of Premium to be Imposition (3)
01	Raipur, Naya Raipur	Rs. 100.00 per Sq. Meter
02	Bilaspur, Durg, Bhilai	Rs. 80.00 per Sq. Me er
04	Other planning and particular ones	Rs. 60.00 per Sq. Meter"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, उप-सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मई 2013

क्रमांक/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5233/डी-15-116/2004/14-2 दिनांक 13-10-2008 में आंशिक संशोधन एवं छूट प्रदान करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा सोयाबीन फसल (राज्य के भीतर कृषकों द्वारा उत्पादित और मण्डी में लाये जाने वाली) पर प्रति 100 रु. मूल्य पर 0.80 (अस्सी पैसा) की दर से मण्डी शुल्क नियत करती है. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 मई 2013

क्रमांक/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2014/रायपुर दिनांक 04-05-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 4th May 2013

No./D-15/116 (Part-II)/2004/14-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section (1) of Section 69 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) and party amending and relaxing the notification No. 5233/D-15-116/2004/14-2 date 13-10-2008 of this department, the State Government hereby fixed mandi fee at the rate of Rs. 0.80 (Eighty paise) per 100 Rupees on soyabeen agriculture produce only (which is produced by farmer within the state and brought into the market). With effect from the date of publication of this notification up to Gazette till date.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT

Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Raipur, the 18th April 2013

F. No. 3144/1243/XXI-B/C.G./13.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) the State Government, hereby, with the concurrence of Hon'ble High Court of Chhattisgarh and in compliance of Memo No. 259/II-15-02/2005 (Pt.-II)/Confdl/2013, Bilaspur, Dated 17th April, 2013, withdrawing the services of member of Higher Judicial Service specified in column (2) of the Schedule below, from the Scheduled Tribes and Scheduled Castes Development Department, Government of Chhattisgarh, places under Law & Legislative Affairs Department, Government of Chhattisgarh and appoints him Judge of the

Family Court on deputation as mentioned in column (3) of the Schedule, from the date he assumes charge of his office, namely :—

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present place of posting (2)	Name of the Court (3)
1.	Shri Neelam Chand Sankhla, Presiding Officer, Wakf Tribunal, Raipur.	Judge, Family Court, Uttar Bastar (Kanker).

Raipur, the 18th April 2013

F. No. 3146/1246/XXI-B/C.G./13.—In compliance of Memo No. 259/II-15-02/2005 (Pt-II)/Confdl/2013, Bilaspur, Dated 17th April, 2013, of Hon'ble High Court of Chhattisgarh, the State Government, hereby, withdrawing the services of Shri Chhameshwar Lal Patel, III Additional District and Sessions Judge, Raipur, from High Court, places under Scheduled Tribes and Scheduled Castes Development Department, Government of Chhattisgarh, for appointment on deputation as Presiding Officer, Wakf Tribunal, Raipur.

Raipur, the 18th April 2013

F. No. 3148/1247/XXI-B/C.G./13.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) the State Government, hereby, with the concurrence of Hon'ble High Court of Chhattisgarh and in compliance of Memo No. 259/II-15-02/2005 (Pt-II)/Confdl/2013, Bilaspur, Dated 17th April, 2013, of the High Court, Bilaspur, withdrawing the services of members of Higher Judicial Service specified in column (2) of the Schedule below, from the High Court, places them under Law & Legislative Affairs Department, Government of Chhattisgarh and appoints them Judge of the Family Court on deputation as mentioned in column (3) of the Schedule, from the date they assume charge of their office, namely :—

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present place of posting (2)	Name of the Court (3)
1.	Shri Satish Kumar Singh, I Additional District & Sessions Judge, Mahasamund.	Judge, Family Court, Mahasamund.
2.	Shri Ashok Kumar Potdar, Additional District & Sessions Judge, Kondagaon.	II Additional Principal Judge, Family Court, Durg.
3.	Smt. Rajni Dubey, Special Judge in Special Court for C.B.I. Cases, Raipur.	Judge, Family Court, Rajnandgaon.

Raipur, the 18th April 2013

F. No. 3150/1247/XXI-B/C.G./13.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) the State Government, hereby, with the concurrence of Hon'ble High Court of Chhattisgarh and in compliance of Memo No. 259/II-15-02/2005 (Pt-II)/Confdl/2013, Bilaspur, Dated 17th April, 2013, of the High Court, Bilaspur, appoints the following members of Higher Judicial Service specified in column (2) of the Schedule below Judge of the Family Court, as mentioned in column (3) of the Schedule, from the

date they assume charge of their office, namely :—

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present place of posting (2)	Name of the Court (3)
1.	Shri Tarendra Kumar Jha, Chairman, Permanent Lok Adalat, Jagdalpur.	Judge, Family Court, Jagdalpur.
2.	Shri Dinesh Kumar Tiwari, Principal Judge, Family Court, Durg.	Judge, Family Court, Kabirdham (Kawardha).
3.	Shri Ashok Kumar Goyal, Registrar, C.G. Arbitration Tribunal, Raipur.	I Additional Principal Judge, Family Court, Raipur.
4.	Smt. Minakshi Gondley, I Additional Principal Judge, Family Court, Raipur.	Judge, Family Court, Dhamtari

Raipur, the 18th April 2013

F. No. 3152/1248/XXI-B/C.G./13.—In compliance of Memo No. 259/II-15-02/2005 (Pt-II)/Confdl./2013, Bilaspur, Dated 17th April, 2013, of the High Court of Chhattisgarh, the State Government, hereby, appoints the following members of Higher Judicial Service specified in column (2) of the Schedule below at the places as mentioned in column (3) of the schedule, on deputation, from the date they assume charge of their office, namely :—

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present place of posting (2)	Place of Posting (3)
1.	Smt. Maitrai Mathur, Judge, Family Court, Rajnandgaon.	Chairman, Permanent Lok Adalat, Jagdalpur.
2.	Smt. Kanta Martin, I Additional Principal Judge, Family Court, Durg.	Registrar, C. G. Arbitration Tribunal, Raipur.

रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2013

क्रमांक 3167/1228/21-ब/छ.ग./2013.—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का संख्यांक 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित प्रविष्टियों के संबंध में और संशोधन कर, निम्न आदेश जारी करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचनाओं के अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित अधिकारियों को, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लेखित स्थानों

पर, विशेष न्यायाधीश पदस्थ किया जाता है, अर्थात् :—

स. क्र. (1)	न्यायिक अधिकारी का नाम (2)	जिले का नाम (3)
1.	श्री जयदीप विजय निमोणकर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जांजगीर	जांजगीर
2.	श्री नरेन्द्र सिंह चावला, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अम्बिकापुर	अम्बिकापुर

F. No. 3167/1228/XXI-B/C.G./2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government with the Concurrence of the Hon'ble Chief Justice of High Court of Chhattisgarh, hereby, makes the following order, further to amend this department's previous notifications, relating to the entries mentioned in column No. (2) namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said notifications, officers mentioned in column (2) are posted as Special Judge, at the places mentioned in column (3) of the said schedule, namely :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Officer (2)	Name of the District (3)
1.	Shri Jaideep Vijay Nimonkar, Additional Sessions Judge, Janjgir.	Janjgir
2.	Shri Narendra Singh Chawla, Ist Additional Sessions Judge, Abmikapur.	Ambikapur

रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2013

क्रमांक 3175/1001/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर हेतु उप महाधिवक्ता के 02 अतिरिक्त पद निर्मित किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करता है :—

क्र. (1)	पद का नाम (2)	स्वीकृत पद की संख्या (3)	पारिश्रमिक (4)
1.	उप महाधिवक्ता	02	55,000/-

उक्त व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परिषद्-(3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001 अधिकारियों का वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 142/1004327/वित्त विभाग/ब-3/2013 दिनांक 30-03-2013 द्वारा प्रदान की गई

Raipur, the 6th May 2013

F. No. 3673/1463/XXI-B/C.G./2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government with the Concurrence of the Hon'ble Chief Justice of High Court of Chhattisgarh, hereby, makes the following order, further to amend this department's previous notifications, relating to the entries mentioned in column No. (2) namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification, officer mentioned in column (2) is posted as Special Judge under section 36(2) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, at the place mentioned in column (3) of the said schedule, namely :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Officer (2)	Name of the District (3)
1.	Shri Makardhwaj Jagdalla, Special Judge under SC/ST (Prevention of Atrocities Act), Raipur.	Raipur

By order and in the name of the Governor of Chhattisgrh,
A. K. SAMANTRAY, Principal Secretary.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्रमांक 3364/496/21-ब/छ.ग./2013.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा परिवीक्षा पर नियुक्त श्री जगदीश कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता, रायपुर जिला-रायपुर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर, जिला रायपुर के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्ति दिनांक 14-06-2012 से पुन: 03 वर्ष के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक रायपुर, जिला-रायपुर नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगा. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्रमांक 3366/496/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा परिवीक्षा पर नियुक्त श्री जगदीश कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता, रायपुर, जिला-रायपुर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर, जिला रायपुर के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्ति दिनांक 14-06-2012 से पुन: 03 वर्ष के लिये अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक रायपुर, जिला-रायपुर नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगा. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्रमांक 3368/496/21-ब/छ.ग./2013.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा परिवीक्षा पर नियुक्त श्री मणिमूर्ति अग्रवाल, अधिवक्ता, रायपुर, जिला-रायपुर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर, जिला रायपुर के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्ति दिनांक 14-06-2012 से पुन: 03 वर्ष के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक रायपुर, जिला-रायपुर नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगा. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्रमांक 3370/496/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा परिवीक्षा पर नियुक्त श्री मणिमूर्ति अग्रवाल, अधिवक्ता, रायपुर, जिला-रायपुर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर, जिला रायपुर के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्ति दिनांक 14-06-2012 से पुन: 03 वर्ष के लिये अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक रायपुर, जिला-रायपुर नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगा. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्रमांक 3372/496/21-ब/छ.ग./2013.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा परिवीक्षा पर नियुक्त श्रीमती विश्वदिनी पाण्डेय, अधिवक्ता, रायपुर, जिला-रायपुर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर, जिला रायपुर के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्ति दिनांक 14-06-2012 से पुन: 03 वर्ष के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक रायपुर, जिला-रायपुर नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगा. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्रमांक 3374/496/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा परिवीक्षा पर नियुक्त श्रीमती विश्वदिनी पाण्डेय, अधिवक्ता, रायपुर, जिला-रायपुर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर, जिला रायपुर के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्ति दिनांक 14-06-2012 से पुन: 03 वर्ष के लिये अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक रायपुर, जिला-रायपुर नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगा. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29 2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्रमांक 3376/496/21-ब/छ.ग./2013.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा परिवीक्षा पर नियुक्त श्री जयंत मनोहर राजिम वाले, अधिवक्ता, रायपुर, जिला-रायपुर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर, जिला रायपुर के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्ति दिनांक 14-06-2012 से पुन: 03 वर्ष के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक रायपुर, जिला-रायपुर नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगा. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्रमांक 3378/496/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा परिवीक्षा पर नियुक्त श्री जयंत मनोहर राजिम वाले, अधिवक्ता, रायपुर, जिला-रायपुर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर, जिला रायपुर के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्ति दिनांक 14-06-2012 से पुन: 03 वर्ष के लिये अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक रायपुर, जिला-रायपुर नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगा. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्रमांक 3380/496/21-ब/छ.ग./2013.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा परिवीक्षा पर नियुक्त श्रीमती सुनीता तोमर, अधिवक्ता, रायपुर, जिला-रायपुर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर, जिला रायपुर के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्ति दिनांक 14-06-2012 से पुन: 03 वर्ष के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक रायपुर, जिला-रायपुर नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगा. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्रमांक 3382/496/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा परिवीक्षा पर नियुक्त श्रीमती सुनीता तोमर, अधिवक्ता, रायपुर, जिला-रायपुर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर, जिला रायपुर के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्ति दिनांक 14-06-2012 से पुन: 03 वर्ष के लिये अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक रायपुर, जिला-रायपुर नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगा. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्रमांक 3384/496/21-ब/छ.ग./2013.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा परिवीक्षा पर नियुक्त श्रीमती सुलेखा पाण्डेय, अधिवक्ता, रायपुर, जिला-रायपुर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर, जिला रायपुर के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्ति दिनांक 14-06-2012 से पुन: 03 वर्ष के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक रायपुर, जिला-रायपुर नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगा. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्रमांक 3386/496/21-ब/छ.ग./2013.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा परिवीक्षा पर नियुक्त श्रीमती सुलेखा पाण्डेय, अधिवक्ता, रायपुर, जिला-रायपुर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर, जिला रायपुर के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्ति दिनांक 14-06-2012 से पुन: 03 वर्ष के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक रायपुर, जिला-रायपुर नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगा. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 मई 2013

क्रमांक 262 क/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	मौहापाली प.ह.नं. 23	0.34	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़, केन्द्र जांजगीर-चांपा.	माण्ड व्यपवर्तन योजना के मौहापाली माइनर क्रमांक-1.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 2 मई 2013

क्रमांक 263 क/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	मौहापाली प.ह.नं. 23	0.89	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़, केन्द्र जांजगीर-चांपा.	माण्ड व्यपवर्तन योजना के मौहापाली माइनर क्रमांक-2.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 मई 2013

क्रमांक-7012/भू-अर्जन/12-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बाड़ादरहा प.ह.नं. 02	11.23	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 मई 2013

क्रमांक-7014/भू-अर्जन/12-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	टुण्ड्री प.ह.नं. 02	14.73	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला जांजगीर-चांपा.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2013

क्रमांक 06/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	तोरवा प. ह. नं. 36	0.087	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2013

क्रमांक 07/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	महमंद प. ह. नं. 40	0.172	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण हेतु.

भूमि का [illegible] ([illegible]) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 27 अप्रैल 2013

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र.-3 अ/82 वर्ष 2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	सिमगा	हिरमी प. ह. नं. 41	1.470	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग कसडोल, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, छ.ग.	हिरमी जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 27 अप्रैल 2013

क्रमांक/भू-अर्जन/2013/प्र. क्र. 10 अ/82 वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार	नयापारा प. ह. नं. 24	0.867	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	रहटाटेर एनीकट के तटबंध एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 12 मार्च 2013

क्रमांक 44/क/अविअ./भू.अ./11 अ-82 वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	मौलीखार	5.17	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	सिंगबहाल जलाशय योजना नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 12 मार्च 2013

क्रमांक 47/क/अविअ./भू.अ./12 अ-82 वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	रक्शा	2.20	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	सिंगबहाल जलाशय योजना नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. शंगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 25 अप्रैल 2013

क्रमांक/225/प्र. 1/अ.वि.अ./2012.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	खर्रा प.ह.नं. 25	1.74	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	मोखली डायवर्सन योजना के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, मुख्यालय पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 मई 2013

क्रमांक/1170/अ.भू.-अ.प्र./05/अ-82/वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	खपरी प.ह.नं. 51	0.01	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु सं., राजनांदगांव (छ.ग.)	खपरीनाला पर पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 मई 2013

क्रमांक/1173/अ.भू.-अ.प्र./04/अ-82/वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	फुलगांव प.ह.नं. 25	0.071	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) संभाग, राजनांदगांव (छ.ग.)	दुर्ग-बालोद मार्ग में फुलगांव नाला सेतु पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 मई 2013

क्रमांक/1176/अ.भू.-अ.प्र./03/अ-82/वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	दुर्ग प.ह.नं. 24	0.092	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) संभाग, राजनांदगांव (छ.ग.)	दुर्ग-बालोद मार्ग में फुलगांव नाला सेतु पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्रमांक 54/भू-अर्जन/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-मगरलोड
- (ग) नगर/ग्राम-निरई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.93 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	280	0.03
	279	0.05
	268/2	0.01
	268/1	0.31
	289	0.11
	286/1	0.03
	286/3	0.04
	287/1	0.02
	287/2	0.13
	288	0.07
	282	0.10
	282	0.03
योग	12	0.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-मोहेरा पंतोरा गरियाबंद कि.मी. 3/10 में पैरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. मण्डावी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2013

क्रमांक/296/भू.अ./अ.वि.अ./01 अ./82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-दरबा, प.ह.नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.23 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	11	0.09
	12	0.05
	13	0.07
	14	0.02
योग	4	0.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-दरबा नाला पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमलसिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 12 फरवरी 2013

रा.प्र.क्र./05/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-मैनपाट

(ग) नगर/ग्राम-हर्रामार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.801 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
556/1	0.030
304/3	0.040
308	0.041
316	0.041
1280	0.049
332	0.012
848/3	0.028
521	0.068
543/1	0.045
542	0.049
1157	0.101
514/1	0.340
304/2	0.040
321	0.032
1153	0.081
549/1	0.113
463	0.081
425	0.041
430/1	0.132
548	0.049
538	0.012
557	0.049
530	0.004
305	0.057
696	0.012
1158	0.081
693	0.012
534	0.160
451/2	0.041
440/1	0.132
483	0.008
540	0.041
527	0.101
541/1	0.056
306	0.041
309	0.041
334	0.141
323	0.024
322	0.024
327/1	0.049
431	0.012
484	0.081
547	0.081
328	0.049
543/2	0.045
307/1	0.032
701	0.121
462	0.032
450	0.101
528/1	0.068
451/1	0.041
536	0.041
485	0.020
695	0.081
304/1	0.041
692	0.024
324/1	0.024
1155	0.101
331	0.032
528/3	0.068
311/2	0.020
541/2	0.061
537/1	0.093

(1)	(2)
1152	0.033
योग	3.801

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोटछाल जलाशय के अन्तर्गत ग्राम हर्रामार योजना के अन्तर्गत मुख्य एवं उप नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 फरवरी 2013

रा.प्र.क्र./06/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-मैनपाट
- (ग) नगर/ग्राम-महारानीपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.114 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
186/1	0.073
154	0.061
149	0.101
130	0.081
116	0.081
115/1	0.081
109	0.081
193	0.162
155	0.008
150	0.049
195	0.081
244/1	0.109
92	0.020
134/5	0.086
167	0.255
156	0.061
151	0.049
153	0.041
245	0.141
110	0.041
100/1	0.222
185	0.081
164	0.020
186/2	0.073
147/4	0.061
103/2	0.294
103/1	0.294
216	0.008
196	0.061
165	0.016
147/2	0.081
104	0.101
133	0.121
244/3	0.032
217	0.024
147/3	0.262
148	0.061
194	0.275
134/1	0.171
111	0.020
132	0.174
योग	4.114

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महारानीपुर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 फरवरी 2013

रा.प्र.क्र./07/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-मैनपाट
(ग) नगर/ग्राम-कोट
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.655 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
988/1	0.073
251/2	0.020
1094	0.028
255/1	0.045
2536/1	0.093
1107	0.041
999/2	0.045
230	0.154
991	0.133
2431	0.008
1005	0.255
228/1	0.063
930/4	0.089
233	0.077
232/3	0.243
1092	0.020
2435	0.063
1079	0.024
1098	0.041
255/2	0.041
2432	0.040
1108/2	0.049
2535	0.053
180	0.263
1061	0.097
231	0.057
1087	0.045
239	0.324
1086	0.045
247	0.081
1090/1	0.020
235	0.028
987/1	0.093
2430	0.008
2434	0.049
1057	0.041
256/2	0.024
1103/1	0.041
1007	0.093
237	0.016
1058	0.057
1082	0.020
992/1	0.045
1062	0.069
253	0.436
2537	0.036
986	0.056
1080	0.008
236	0.182
242	0.053
985	0.045
1104/2	0.049
1105	0.045
1085	0.045
2433	0.032
1106/1	0.041
989	0.101
1018	0.012
179	0.077
993	0.057
1101/1	0.049
258	0.133
990/2	0.041
1099	0.041
1095	0.036
232/1	0.101
246	0.069
984	0.084
1069	0.016
1066	0.049
1089	0.045
1084	0.028
139/1	0.166
1104/1	0.049
1109	0.061
181	0.129
990/3	0.089
1083	0.024
257/1	0.085
1102	0.045
1060	0.041
1063	0.045

(1)	(2)
232/2	0.162
1067	0.049
980	0.168
1073	0.021
1059	0.041
1081	0.020
256/1	0.028
2429	0.065
1051	0.089
1052	0.049
182	0.441
1004/1	0.081
1091	0.024
260	0.097
1065	0.049
1097	0.045
1053	0.045
987/3	0.133
1064	0.041
981	0.092
1103/2	0.049
योग	7.655

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोट व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत डुबान एवं मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 फरवरी 2013

रा.प्र.क्र./08/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-मैनपाट
- (ग) नगर/ग्राम-चिड़ापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.209 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
70	0.154
51/3	0.041
205	0.061
169	0.061
52/1	0.041
46	0.061
43	0.041
162	0.020
53/1	0.028
73	0.020
66	0.141
163	0.154
203	0.243
52/2	0.041
161	0.134
166	0.093
167	0.061
199	0.182
80	0.032
198	0.041
47/1	0.113
51/1	0.243
52/3	0.041
65	0.121
47/2	0.041
योग	2.209

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महारानीपुर व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत ग्राम चिड़ापारा का मुख्य नहर एवं उप नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 30 अप्रैल 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 69/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन्-1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-झिलगीटार, प.ह.नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-128.969 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
153/7	0.203
199/1	0.059
196/2	0.405
76/5	0.043
139/6	0.023
128/5	0.061
197/6	0.134
150/8क	0.060
211/9	0.053
79/7	0.073
145/2	0.016
15/1	0.075
178/8	0.065
136/2	0.247
130/1	0.006
162/1	0.075
198/6	0.405
15/4	0.061
86/2	0.061
197/5	0.047
118/6	0.032
191/2	0.024
144/2	0.012
164/11	0.101
163/1ख/4	0.047
154/3	0.202
211/16	0.065
186	0.129
76/15	0.202
190/3	0.021
121/15	0.020
121/12	0.020
13/5	0.061
16/16क	0.020
125/14	0.041
146, 155/4क	0.085
134	0.166
167/3क	0.041
78/8	0.061
139/1	0.041
169/1	0.035
4/9	0.030
164/16	0.101
150/2	0.020
178/6	0.081
125/5	0.009
199/5	0.097
15/6	0.061
163/5	0.040
77/21	0.106
125/12	0.041
79/13	0.064
202/2	0.276
198/10	0.040
138/3	0.041
135/6क	0.122
120/6	1.019
198/3	0.809
164/12क	0.051
204/2	0.991
7/3	0.081
164/2	0.041
164/15	0.101
135/5	0.031
142/1	0.009
190/1	0.042
198/9	0.202
211/8	0.053

(1)	(2)	(1)	(2)
78/3	0.146	79/6	0.073
200/2क	0.041	150/4	0.101
133/4	0.021	136/5	0.047
211/17	0.065	180	0.214
199/3ख	0.040	164/7	0.101
19	0.862	125/3	0.211
138/1क	0.247	181/2	0.032
118/3	0.060	130/9	0.007
18/1	0.114	162/4	0.009
199/2ख	0.040	151	1.931
126/6	0.015	16/25	0.060
153/15	0.081	77/19ख	0.041
181/6	0.057	184	0.170
150/6	0.061	193/3	0.160
163/1ख/2	0.052	193/2	0.162
76/12	0.201	211/27	0.016
168/2	0.028	163/3क	0.040
14/1	0.635	202/3	0.360
125/7	0.081	211/19	0.065
166/3	0.085	118/1ग	0.529
126/1	0.030	164/1	0.400
149/1	0.072	6/1	0.259
153/14	0.081	16/11	0.042
13/6	0.045	136/3	0.165
81/1	0.094	118/1घ	0.405
118/7	0.028	211/10	0.053
4/4	0.031	13/4	0.033
135/4	0.020	7/4	0.081
147/1	0.013	178/10	0.081
135/6ख	0.040	182/1	0.105
76/10	0.270	121/3	0.291
150/1	0.149	160/4	0.116
153/12	0.041	120/10	0.404
81/2	0.072	164/3	0.041
197/4	0.016	164/9	0.105
197/8	0.020	150/13	0.020
200/4	0.081	119/3ख	0.210
199/4	0.040	198/1	0.065
76/9	0.202	76/3	1.011
9	0.656	204/1	0.545
76/2	0.403	166/1क	0.025
161/2	0.061	78/11	0.038
150/9	0.101	121/10	0.157
128/4	0.064	150/3	0.149
132	1.226	125/8	0.081
154/2	0.284	193/1	0.111
130/6	0.214	78/9	0.060

(1)	(2)	(1)	(2)
167/4	0.060	121/21क	0.041
164/8	0.111	142/4	0.009
128/2	0.052	153/9	0.121
150/15	0.021	125/6	0.013
139/4	0.020	76/13	0.304
169/4	0.035	123/2	0.243
125/11	0.121	150/12	0.101
197/10	0.041	161/1	0.141
77/22	0.106	77/20	0.106
188	0.097	16/3	0.052
160/2	0.223	16/2	0.405
195/1	0.107	141	0.930
164/6	0.041	79/14	0.060
76/8	0.404	164/13	0.101
6/4	0.259	198/5	1.011
211/31	0.073	125/9	2.023
77/3	0.849	121/18	0.061
198/2	0.160	79/10	0.023
192/4	0.101	136/1	0.206
120/12	0.101	199/3क	0.061
211/21	0.065	16/20	0.446
199/6	0.042	164/4	0.405
211/11	0.053	165/1	0.672
16/21	0.081	120/2	1.011
125/2	0.816	181/4	0.025
200/5	0.081	181/5	0.024
198/8	0.040	200/3	0.081
178/1	0.101	79/1	0.060
160/7	0.036	163/4क	0.041
153/6	0.084	192/7	0.101
178/3	0.081	18/2	0.045
164/10	0.101	130/2	0.202
211/24	0.061	120/9	0.405
211/33	0.061	121/7	0.044
78/6	0.061	164/14	0.101
138/5	0.081	153/2	0.525
192/3	0.101	130/4	0.217
211/18	0.065	150/7	0.061
198/4क	0.203	79/11	0.064
121/11	0.218	196/1	0.405
4/5	0.031	120/3	1.011
211/20	0.065	200/6	0.081
150/5	0.101	118/4	0.041
146, 155/3क	0.130	135/2	0.065
185/3	0.133	126/4	0.015
160/6क	0.041	149/4	0.072
133/2	0.032	82/2	0.092
		16/24	0.061

(1)	(2)
121/16	0.024
163/1क	0.283
15/5	0.061
166/2	0.025
120/8	1.011
86/3	0.020
16/13	0.104
211/26	0.068
118/1क	0.121
78/10	0.061
120/7	1.011
153/8	0.121
121/13	0.020
211/28	0.061
136/4	0.247
211/12	0.053
191/4	0.101
178/7	0.081
200/1	0.048
160/5	0.061
123/1ख	0.150
121/19	0.061
12	0.243
121/9	0.218
135/8	0.029
147/2	0.057
126/2	0.015
149/2	0.072
165/2	0.672
76/6	0.399
4/1	0.125
124/1	0.671
128/1	0.053
181/1	0.032
191/1	0.101
164/5	0.021
153/3	0.405
179/2	0.109
131/3	0.336
135/3	0.065
76/11	0.270
130/8	0.006
162/3	0.007
126/5	0.015
149/5	0.072
153/13	0.081
133/5	0.017
4/8	0.030
159/1	0.081
120/5	0.202
178/5	0.081
138/4	0.129
125/4	0.205
175/1	0.010
80	0.247
85/2	0.040
154/1	0.457
16/22	0.020
189/1	0.064
121/20	0.081
4/3	0.308
77/23	0.106
197/9	0.012
148	0.287
130/7	0.006
162/2	0.007
16/18क	0.041
79/12	0.064
77/4	0.849
145/5, 146, 155/1, 157/1	0.202
133/1	0.032
197/1	0.093
191/3	0.033
153/4	0.405
199/2क	0.061
189/2	0.061
137/1	0.226
181/3	0.032
179/1	0.113
139/3	0.021
169/3	0.036
130/10	0.007
162/6	0.044
153/16	0.809
135/7	0.021
16/23	0.040
159/2	0.081
124/2	0.243
178/9	0.065
79/5	0.073
131/2	0.202
176/1	0.003
82/1	0.384
121/5	0.182
158	0.129
76/4	0.405

(1)	(2)
163/1ख/3	0.047
78/7	0.061
136/6	0.262
198/7	0.405
196/3	0.044
178/4	0.102
139/2	0.021
169/2	0.036
167/2	0.077
18/3	0.056
119/3ग	0.045
118/2	0.041
135/1	0.068
77/5	0.419
192/5	0.081
16/19क	0.041
121/6	0.021
130/5	0.043
153/5	0.182
197/3	0.093
163/1ख/1	0.047
142/3	0.009
162/5	0.089
139/5	0.020
138/6	0.085
125/10	0.121
197/7	0.006
120/11	0.101
121/14	0.020
16/14	0.182
185/1	0.045
15/3	0.061
167/1	0.252
177/1	0.089
83	0.053
152	0.251
76/7	1.011
76/1	0.270
6/3	0.259
6/2	0.445
187	0.113
4/7	0.030
146, 155/2	0.122
211/7	0.053
142/2	0.009
150/11क	0.081
150/10	0.101
13/1	0.054
120/4	0.809
125/1	0.164
145/1, 146, 155/1, 157/1	0.276
192/1	0.101
192/6	0.101
160/1	0.061
123/1क	0.154
131/1	0.040
118/5	0.041
167/5	0.077
126/3	0.015
149/3	0.072
190/2	0.042
142/5	0.009
153/10	0.021
125/13	0.041
4/6	0.030
76/14	0.304
121/17	0.040
7/1	0.069
137/3	0.081
15/7	0.062
174/1	0.005
178/2क	0.202
84	0.283
153/1	0.010
77/2	0.425
119/1, 119/2	0.130
202/1	0.890
145/4, 146, 155/6, 157/3	0.478
118/1ख	3.411
79/4	0.257
77/8	0.709
77/7ख	0.162
145/3, 146, 155/5, 157/2	0.481
137/2	0.065
135/216	0.219
211/5	0.053
77/24	0.008
77/28	0.008
77/32	0.008
77/36	0.008
77/40	0.008
77/44	0.008
77/48	0.008

(1)	(2)
77/52	0.008
77/56	0.008
77/60	0.008
77/64	0.008
77/68	0.008
77/71	0.009
136/8	0.041
77/75	0.008
77/79	0.008
77/83	0.008
77/87	0.008
77/91	0.008
77/95	0.008
77/99	0.008
77/102	0.008
77/106	0.008
77/110	0.008
77/114	0.008
77/118	0.008
77/122	0.008
121/2	0.206
211/3, 211/4	0.182
16/4	1.011
77/7क	0.251
119/3क	0.041
8	0.299
78/4ख	0.686
156	0.275
138/1ख	0.130
16/6	1.220
195/2	0.269
77/25	0.008
77/29	0.008
77/33	0.008
77/37	0.008
77/41	0.008
77/45	0.008
77/49	0.008
77/53	0.008
77/57	0.008
77/61	0.016
77/65	0.008
77/69	0.008
77/72	0.008
77/74	0.008
77/76	0.008

(1)	(2)
77/80	0.008
77/84	0.008
77/88	0.008
77/92	0.008
77/96	0.008
136/9	0.041
77/103	0.008
77/107	0.008
77/111	0.008
77/115	0.008
77/119	0.008
77/123	0.008
143	0.324
128/3	0.057
16/5	1.011
78/4क	0.845
16/7	1.011
13/2	0.729
7/2	0.283
197/2	0.093
138/2	0.170
17/2	0.817
120/13	0.258
77/26	0.008
77/30	0.008
77/34	0.008
77/38	0.008
77/42	0.008
77/46	0.008
77/50	0.008
77/54	0.008
77/58	0.008
77/62	0.016
77/66	0.008
77/70क	0.008
77/73	0.024
185/2	0.045
77/77	0.008
77/81	0.008
77/85	0.008
77/89	0.008
77/93	0.008
77/97	0.008
77/100	0.008
77/104	0.008
77/108	0.008

(1)	(2)	(1)	(2)
77/112	0.008	192/29	0.012
77/116	0.008	192/33	0.012
77/120	0.008	192/37	0.012
192/2	0.020	192/41	0.012
201	0.219	130/13	0.012
133/3	0.032	130/17	0.012
10/1	2.396	130/21	0.012
79/3	0.292	77/6	0.049
16/8	0.302	18/45	0.008
13/3	0.162	150/8ख	0.041
77/9क	1.214	150/18	0.020
130/3	0.042	136/12	0.040
150/14	0.149	136/16	0.020
16/9	0.809	164/18	0.040
211/6	0.053	164/22	0.040
77/27	0.008	18/51	0.008
77/31	0.008	18/55	0.008
77/35	0.008	18/59	0.008
77/39	0.008	18/63क	0.020
77/43	0.008	163/6क	0.021
77/47	0.008	77/153	0.012
77/51	0.008	77/157	0.020
77/55	0.008	77/161	0.020
77/59	0.008	77/165	0.020
77/63	0.008	77/169	0.012
77/67	0.008	77/173	0.012
16/26	0.041	77/177	0.032
136/7	0.041	77/181	0.020
199/7	0.061	77/185	0.008
77/78	0.008	211/35	0.021
77/82	0.008	211/36	0.020
77/86	0.008	211/41	0.021
77/90	0.008	163/8	0.020
77/94	0.008	150/21	0.020
77/98	0.008	130/24	0.020
77/101	0.008	130/28	0.020
77/105	0.008	77/190	0.008
77/109	0.008	125/21	0.020
77/113	0.008	125/25	0.020
77/117	0.008	125/29	0.020
77/121	0.008	18/70	0.048
192/8	0.012	153/20	0.020
192/9	0.011	192/10	0.020
192/13	0.020	192/14	0.020
192/17	0.020	192/18	0.020
192/21	0.020	192/22	0.020
192/25	0.020	192/26	0.020

(1)	(2)	(1)	(2)
192/30	0.012	192/31	0.012
192/34	0.012	192/35	0.012
192/38	0.012	192/39	0.012
192/42	0.012	130/11	0.012
130/14	0.012	130/15	0.012
130/18	0.012	130/19	0.016
77/194	0.048	77/195	0.028
78/15	0.049	77/196	0.018
18/46	0.008	18/47	0.008
150/11ख	0.020	150/16	0.020
150/19	0.021	136/10	0.040
136/13	0.020	136/14	0.020
182/3	0.013	211/34	0.021
164/19	0.020	164/20	0.040
182/4	0.012	18/49	0.008
18/52	0.008	18/53	0.008
18/56	0.008	18/57	0.008
18/60	0.008	18/61	0.008
18/64क	0.020	18/65क	0.020
77/149	0.016	77/150	0.016
77/154	0.012	77/155	0.012
77/158	0.020	77/159	0.020
77/162	0.020	77/163	0.020
77/166	0.020	77/167	0.020
77/170	0.012	77/171	0.012
77/174	0.012	77/175	0.008
77/178	0.020	77/179	0.016
77/182	0.020	77/183	0.008
77/186	0.008	77/187	0.008
211/37	0.021	211/38	0.020
211/22	0.020	211/39	0.020
211/42	0.020	120/17	0.031
163/9	0.020	163/2	0.020
150/22	0.020	130/22	0.020
130/25	0.020	130/26	0.020
77/192	0.012	77/193	0.008
77/191	0.008	125/19	0.020
125/22	0.020	125/23	0.020
125/26	0.025	125/27	0.020
18/67	0.048	18/68	0.048
18/71	0.048	153/18	0.021
153/21	0.010	182/5	0.020
192/11	0.020	192/12	0.020
192/15	0.020	192/16	0.020
192/19	0.020	192/20	0.020
192/23	0.020	192/24	0.020
192/27	0.020		

(1)	(2)
192/28	0.020
192/32	0.012
192/36	0.012
192/40	0.008
130/12	0.012
130/16	0.012
130/20	0.012
78/14	0.048
78/16	0.031
18/48	0.008
150/17	0.020
136/11	0.040
136/15	0.020
164/17	0.020
164/21	0.020
18/50	0.008
18/54	0.008
18/58	0.008
18/62	0.008
18/66क	0.020
77/151	0.012
77/156	0.020
77/160	0.020
77/164	0.020
77/168	0.012
77/172	0.012
77/176	0.016
77/180	0.013
77/184	0.016
77/188	0.008
211/25	0.020
211/40	0.021
163/7	0.013
150/20	0.021
130/23	0.020
130/27	0.012
77/189	0.008
125/20	0.020
125/24	0.020
125/28	0.020
18/69	0.048
153/19	0.010
182/6	0.020
182/2	0.020
153/17	0.020
18/34	0.008
18/38	0.008
18/7	0.049
18/12	0.049
18/15	0.049
18/19	0.049
18/43	0.008
125/31	0.020
125/35	0.040
125/39	0.020
16/28	0.044
125/44	0.020
167/6	0.020
167/10	0.020
125/50	0.020
125/18	0.008
125/57	0.008
18/23	0.020
18/27	0.020
211/23	0.020
18/73	0.008
153/24	0.020
16/34	0.020
144/4	0.020
171/6	0.020
171/8	0.013
211/45	0.020
170/4	0.008
170/6	0.008
170/8	0.040
171/10	0.020
170/1	0.040
16/41	0.040
16/45	0.041
153/26	0.020
77/137	0.008
77/141	0.008
77/145	0.008
77/19क	0.008
77/127	0.008
77/131	0.008
77/135	0.008
204/3	0.203
76/18	0.040
125/17	0.032
182/7	0.020
18/31	0.008
18/35	0.008
18/4	0.049

(1)	(2)	(1)	(2)
18/8	0.049	18/9	0.049
18/11	0.049	18/13	0.049
18/16	0.049	18/17	0.049
18/20	0.049	18/41	0.008
18/40	0.008	18/39	0.008
125/32	0.020	125/33	0.040
125/36	0.020	125/37	0.032
125/40	0.020	125/41	0.020
16/29	0.044	125/42	0.020
125/45	0.020	125/46	0.020
167/7	0.020	167/8	0.020
167/11	0.020	125/48	0.020
125/51	0.020	125/52	0.020
125/54	0.008	125/55	0.008
125/58	0.008	18/21	0.020
18/24	0.020	18/25	0.020
18/28	0.020	18/44	0.020
16/30	0.068	16/31	0.067
77/203	0.008	153/22	0.020
171/2	0.020	16/32	0.016
16/35	0.016	16/36	0.016
171/3	0.020	171/4	0.020
171/7	0.020	211/29	0.040
171/9	0.020	211/44	0.021
211/32	0.020	172/2	0.020
172/3	0.020	172/4	0.020
170/7	0.008	16/37	0.040
170/9	0.018	79/8	0.049
171/11	0.020	171/12	0.020
16/38	0.041	16/39	0.040
16/42	0.041	16/43	0.041
16/58	0.040	171/13	0.020
153/27	0.020	153/28	0.020
77/138	0.008	77/139	0.008
77/142	0.008	77/143	0.008
77/146	0.008	77/147	0.008
77/124	0.008	77/125	0.008
77/128	0.008	77/129	0.008
77/132	0.008	77/133	0.008
77/136	0.008	78/12	0.049
204/4	0.202	76/16	0.040
76/19	0.040	125/15	0.040
153/30	0.020	153/31	0.020
18/29	0.008	18/30	0.008
18/32	0.008	18/33	0.009
18/36	0.008	18/37	0.008
18/5	0.049	18/6	0.049

(1)	(2)
18/10	0.049
18/14	0.049
18/18	0.049
18/42	0.008
125/30	0.020
125/34	0.040
125/38क	0.020
16/27	0.032
125/43	0.020
125/47	0.020
167/9	0.020
125/49क	0.008
125/53	0.020
125/56	0.008
18/22	0.020
18/26	0.020
211/43	0.021
16/10	0.067
153/23	0.020
16/33	0.020
144/3	0.020
171/5	0.014
170/2	0.020
211/1	0.040
170/3	0.020
170/5	0.008
16/15	0.041
172/5	0.020
170/10	0.020
16/40	0.041
16/44	0.041
153/25	0.020
153/29	0.020
77/140	0.008
77/144	0.008
77/148	0.008
77/126	0.008
77/130	0.008
77/134	0.008
78/13	0.048
76/17	0.040
125/16	0.040
18/74	0.008
18/75	0.008
168/4	0.020
172/6	0.007
168/8	0.020
16/59	0.040
16/46	0.041
16/50	0.044
16/54	0.044
18/77	0.020
18/81	0.020
18/85	0.004
18/89	0.004
18/93	0.020
18/97	0.008
18/101	0.008
18/105	0.008
18/109	0.008
211/56	0.008
211/54	0.016
211/47	0.021
211/14	0.008
16/65	0.020
18/115	0.008
18/119	0.008
18/123	0.008
18/127	0.008
18/131	0.008
168/9	0.008
168/13	0.008
168/17	0.008
167/16	0.020
172/9	0.040
18/112	0.008
16/70	0.020
16/74	0.008
16/78	0.008
16/82	0.008
16/86	0.012
168/21	0.008
168/25	0.020
168/29	0.012
167/19	0.008
167/23	0.020
167/27	0.012
172/11	0.008
172/15	0.008
172/19	0.008
18/76	0.008
168/5	0.020
175/6	0.013
171/1	0.020
16/17	0.021
16/47	0.041

(1)	(2)	(1)	(2)
16/51	0.041	16/52	0.044
16/55	0.044	16/56	0.041
18/78	0.020	18/79	0.020
18/82	0.008	18/83	0.008
18/86	0.008	18/87	0.004
18/90	0.008	18/91	0.008
18/94	0.008	18/95	0.008
18/98	0.008	18/99	0.008
18/102	0.008	18/103	0.008
18/106	0.008	18/107	0.008
211/46	0.008	211/51	0.008
211/57	0.008	211/52	0.021
211/15	0.008	211/58	0.021
211/48	0.008	211/49	0.008
16/62	0.008	16/63	0.010
16/66	0.008	16/89क	0.040
18/116	0.008	18/117	0.008
18/120	0.008	18/121	0.004
18/124	0.008	18/125	0.008
18/128	0.008	18/129	0.008
18/132	0.008	18/133	0.008
168/10	0.008	168/11	0.008
168/14	0.008	168/15	0.008
167/13	0.020	167/14	0.020
168/18	0.020	168/19	0.020
16/67	0.020	18/110	0.008
18/113	0.008	16/68	0.008
16/71	0.020	16/72	0.020
16/75	0.008	16/76	0.004
16/80	0.008	16/79	0.008
16/83	0.020	16/84	0.004
16/87	0.008	16/88	0.008
168/22	0.008	168/23	0.008
168/26	0.008	168/27	0.008
168/1	0.020	167/17	0.020
167/20	0.020	167/21	0.020
167/24	0.024	167/25	0.012
167/28	0.020	167/29	0.020
172/12	0.008	172/13	0.008
172/16	0.008	172/17	0.008
172/20	0.008	172/21	0.020
171/14	0.020	168/3	0.020
168/6	0.020	168/7	0.020
172/7	0.016	172/8	0.012
167/12	0.020	150/23	0.020
16/60	0.040	16/61	0.013
16/48	0.044	16/49	0.041

(1)	(2)	(1)	(2)
16/53	0.044	144/1	0.020
16/57	0.040	153/32	0.020
18/80	0.020	211/30	0.020
18/84	0.008	150/26	0.020
18/88	0.008	16/90	0.049
18/92	0.008	150/28	0.020
18/96	0.008	167/30	0.065
18/100	0.008	130/29	0.020
18/104	0.008	130/33	0.020
18/108	0.020	163/6ख	0.020
211/55	0.016	204/5	0.041
211/53	0.008	81/5	0.020
211/13	0.008	16/16घ	0.041
211/50	0.008	160/6ख	0.020
16/64	0.008	153/38	0.020
18/114	0.008	121/8	0.085
18/118	0.008	168/30	0.049
18/122	0.008	124/4	0.081
18/126	0.008	147/6	0.020
18/130	0.008	4/12	0.020
18/134	0.008	119/4	0.020
168/12	0.008	76/21	0.306
168/16	0.008	211/60	0.016
167/15	0.020	10/3	0.008
18/135	0.020	194/1	0.022
18/111	0.008	194/5	0.023
16/69	0.020	194/9	0.023
16/73	0.008	194/13	0.023
16/77	0.004	194/17	0.023
16/81	0.008	18/63ख	0.020
16/85	0.008	125/49ख	0.020
168/20	0.020	153/39	0.031
168/24	0.008	16/97	0.041
168/28	0.012	16/95	0.041
167/18	0.008	81/8	0.049
167/22	0.020	174/5	0.049
167/26	0.012	175/3	0.049
172/10	0.008	176/3	0.049
172/14	0.008	172/24	0.008
172/18	0.008	172/28	0.008
172/22	0.008	172/32	0.008
172/23	0.008	172/36	0.008
172/27	0.008	172/40	0.004
172/31	0.020	172/44	0.008
172/35	0.008	172/48	0.008
172/39	0.008	144/5	0.030
172/43	0.020	153/33	0.020
172/47	0.008		

(1)	(2)	(1)	(2)
79/16	0.024	147/4	0.020
150/27	0.020	150/30	0.020
16/91	0.049	153/34	0.021
150/29	0.020	130/31	0.020
167/31	0.065	138/8	0.020
130/30	0.020	15/2	0.065
138/7	0.020	81/3	0.020
14/2	0.156	16/16ख	0.020
144/8	0.020	144/10	0.016
81/6	0.020	153/36	0.020
144/9	0.016	168/32	0.049
163/3ख	0.041	168/35	0.020
168/31	0.049	168/38	0.020
168/34	0.020	82/5	0.045
168/37	0.020	4/10	0.040
82/4	0.053	119/3च	0.101
4/2	0.040	119/6	0.025
121/22	0.061	18/66ख	0.020
119/5	0.020	211/62	0.017
18/63ख	0.020	10/5	0.008
211/61	0.016	194/3	0.022
10/4	0.008	194/7	0.023
194/2	0.022	194/11	0.023
194/6	0.023	194/15	0.023
194/10	0.023	194/19	0.023
194/14	0.023	164/12ख	0.050
194/18	0.023	166/5	0.020
18/64ख	0.020	153/41	0.021
166/4	0.020	16/93	0.041
153/40	0.031	16/89ग	0.041
16/92	0.041	174/3	0.049
16/89ख	0.040	174/7	0.049
174/2	0.049	175/5	0.049
174/6	0.049	78/17	0.048
175/4	0.049	172/26	0.008
177/2	0.049	172/30	0.008
172/25	0.008	172/34	0.008
172/29	0.008	172/38	0.008
172/33	0.008	172/42	0.008
172/37	0.008	172/46	0.020
172/41	0.008	172/50	0.008
172/45	0.008	18/136	0.008
172/49	0.008	172/1	0.020
147/3	0.020	150/25	0.020
16/92	0.020	144/7	0.020
150/24	0.020	147/5	0.020
[illegible]	0.020	150/31	0.020

(1)	(2)	(1)	(2)
153/11	0.020	77/209	0.008
130/32	0.020	77/213	0.008
153/35	0.020	164/23	0.012
14/3	0.156	164/27	0.008
81/4	0.020	79/17	0.049
16/16ग	0.020	79/21	0.049
163/4ख	0.040	167/3ख	0.040
153/37	0.020	167/3च	0.040
168/33	0.049	198/4ग	0.101
168/36	0.020	198/4छ	0.101
124/3	0.081	120/15	0.041
160/3	0.025	15/9	0.049
4/11	0.113	15/13	0.049
119/3ङ	0.020	120/20	0.041
76/20	0.306	3/4	0.061
211/59	0.016	78/5ग	0.061
10/2	0.008	78/5ङ	0.061
77/70ख	0.008	79/2ङ	0.061
194/4	0.023	78/2ग	0.061
194/8	0.023	16/1घ	0.061
194/12	0.023	121/4	0.220
194/16	0.023	2/1	0.500
194/20	0.023	77/9ख	0.202
125/38ख	0.020	1	0.206
166/6	0.020	16/12	2.022
153/42	0.020	77/10ख	1.431
16/94	0.041	120/1क	0.493
81/7	0.049	146, 155/3ग	0.040
174/4	0.049	118/1छ	0.040
175/2	0.049	118/1ट	0.040
176/2	0.049	166/1ख	0.020
78/18	0.048	153/43	0.020
78/19	0.050	78/22	0.048
16/18घ	0.020	77/197	0.048
5/1	0.500	77/201	0.048
79/2क	0.104	77/206	0.008
5/2	0.572	77/210	0.008
77/10क	1.431	77/214	0.008
17/1	0.437	164/24	0.012
146, 155/3ख	0.040	164/28	0.008
118/1च	0.040	79/18	0.049
118/1ज	0.040	79/22	0.049
183	0.182	167/3ग	0.041
16/96	0.020	121/21ख	0.020
78/21	0.049	198/4घ	0.101
78/25	0.049	198/4ज	0.101
77/200	0.024	120/16	0.041
77/205	0.008		

(1)	(2)
15/10	0.049
15/14	0.049
163/1ख/6	0.045
120/22	0.041
120/24	0.041
79/2ख	0.061
200/2ख	0.020
78/2घ	0.061
16/1ङ	0.061
16/18ख	0.020
2/2	0.500
78/2क	0.060
3/1	0.768
16/1क	1.624
121/1	0.312
146, 155/4ख	0.081
146, 155/3घ	0.040
118/1ज	0.040
178/2ख	0.934
166/1ग	0.020
153/44	0.020
78/23	0.048
77/198	0.025
77/202	0.049
77/207	0.008
77/211	0.008
77/19ग	0.040
164/25	0.012
164/29	0.008
79/19	0.049
16/19ख	0.020
167/3घ	0.040
121/21ग	0.020
198/4ङ	0.101
198/4झ	0.101
120/18	0.041
15/11	0.049
120/19	0.041
3/3	0.061
78/5ख	0.061
78/5घ	0.061
79/2ग	0.061
200/2ग	0.020
78/2ङ	0.061
120/1ख	0.061
16/18ग	0.020
2/3	0.408
78/5क	0.060
3/2	0.202
16/1ख	1.442
122	0.332
146, 155/4ग	0.081
118/1ङ	0.040
118/1झ	0.040
203	0.413
166/1घ	0.020
78/20	0.049
78/24	0.049
77/199	0.024
77/204	0.009
77/208	0.008
77/212	0.008
77/19घ	0.040
164/26	0.012
164/30	0.008
79/20	0.049
16/19ग	0.020
167/3ङ	0.040
198/4ख	0.101
198/4च	0.101
120/14	0.041
15/8	0.049
15/12	0.049
163/1ख/5	0.045
120/21	0.041
120/23	0.041
120/25	0.041
79/2घ	0.061
78/2ख	0.061
16/1ग	0.061
120/1ग	0.061
120/1घ	0.061
18/72	0.008
82/3	0.045
86/4	0.020
86/5	0.020
योग 1473	128.969

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-औद्योगिक प्रयोजनार्थ निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

डभरा, दिनांक 4 मई 2013

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 204/2012-13.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा को अधिसूचना क्रमांक 971/2012-13 दिनांक 8-11-2012 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम साराडीह, तहसील डभरा से परिवहन द्वारा ग्राम देवरी, तहसील रायगढ़ तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 7-12-2012 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/ प. ह. नं. (3)	खसरा नं. (4)	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1334	0.18
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1189	0.18
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1191/3	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1341/1	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1342	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	638/2	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1344/1	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1351/1	0.11
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1351/2	0.57
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1352/2	0.27

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1090	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1071/9	0.22
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1098/1	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1109/1	0.35
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1008	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1344/2	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1345	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1192	0.21
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1333/1	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1215/1	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1092/2	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1088, 1089	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1352/1	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1107/2	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1300/1	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1336/1	0.37
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1191/2	0.23
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1109/3	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा/20	1110, 1109/4	0.40
		कुल योग		**4.25**

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

डभरा, दिनांक 4 मई 2013

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 292/2012-13.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा को अधिसूचना क्रमांक 961/2012-13 दिनांक 8-11-2012 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम साराडीह, तहसील डभरा से परिवहन द्वारा ग्राम देवरी, तहसील रायगढ़ तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 7-12-2012 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/ प. ह. नं. (3)	खसरा नं. (4)	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	किरारी/21	1339/1	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	किरारी/21	1347	0.33
जांजगीर-चांपा	डभरा	किरारी/21	1339/2	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	किरारी/21	1338/1	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	किरारी/21	1337/1	0.41
जांजगीर-चांपा	डभरा	किरारी/21	1348/3	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	किरारी/21	1348/1	0.34
जांजगीर-चांपा	डभरा	किरारी/21	1351	0.25
जांजगीर-चांपा	डभरा	किरारी/21	1334/1	0.28
जांजगीर-चांपा	डभरा	किरारी/21	1350	0.02
			कुल योग	**1.89**

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

डभरा, दिनांक 4 मई 2013

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 295/2012-13.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा को अधिसूचना क्रमांक 969/2012-13 दिनांक 8-11-2012 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम साराडीह, तहसील डभरा से परिवहन द्वारा ग्राम देवरी, तहसील रायगढ़ तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 7-12-2012 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/ प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1240	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1237	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1180	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	936/7	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	937/4	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1241/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1209	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	936/3	0.19
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1233/1	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1197/1	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1236/1	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1205/4, 1206/1	0.16
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1232/1	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1189	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	936/5	0.20
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1230/3	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1211, 1212	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1008	0.11
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1222/1	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	974/1	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	937/3	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1222/2	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1242	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1223	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1230/1	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1220	0.14
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1241/1	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1153	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1154	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	563	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	393	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	392	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	204/2	0.21
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	205	0.23
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	77	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	87/2	0.73
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1183, 1184, 1185	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1188/2	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1194	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1196/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1166	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1167/1	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1021/1	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	570/2	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1175/1, 1175/2ख	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1175/2क, 1175/3	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1149	0.45
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1150/1	0.07
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1018	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	936/4	0.17
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	974/2	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	937/5	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	937/1	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	383	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	82, 83	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	194/2	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1150/2	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	574/1	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	202/1	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	574/2	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1155	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1156	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1157	0.16
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1017/1	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1021/2	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	548/1	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	936/1	0.18
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	936/2	0.18
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	548/2	0.13
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	936/6	0.19
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	400	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	391	0.07
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	401/4	0.23
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	937/2	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	933/1	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	933/2	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	477	0.12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	542, 543, 544	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	555	0.29
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	545	0.13
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	546	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	547	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	399	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	194/2, 194/3	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	556/1	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	556/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	561	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	570/3	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	500/2, 572/2	0.17
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	78	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	401/2, 402/1	0.25
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	384/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	385	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	384/3	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	914/1	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	914/6	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	204/1	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	195/1	0.20
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	140/1	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	203/1	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	202/2	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1017/2	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	203/2	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	197/1	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	197/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	192/1, 194/1	0.11
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	196/2	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	195/2	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	195/3	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	195/4	0.07
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	140/7	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	129	0.11
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	84	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	379	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	140/8	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	139	0.24
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	137	0.11
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	116/1	0.16
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	116/2	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	117/1	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	117/2	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	113/2	0.16
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	115	0.15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	121	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	113/1	0.07
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	122	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	110/1	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	110/2	0.24
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	73	0.13
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	74	0.24
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	75/1	0.11
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	75/2	0.11
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	79	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	87/3	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	114	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	386/2	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	80/1	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	565, 566	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	914/2	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	979/1	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1171	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली/22	1231	0.07
		कुल योग		**14.34**

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

डभरा, दिनांक 4 मई 2013

प्रारूप-घ

[नियम 6 देखिये]

क्रमांक 298/2012-13.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा को अधिसूचना क्रमांक 977/2012-13 दिनांक 8-11-2012 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम साराडीह, तहसील डभरा से परिवहन द्वारा ग्राम देवरी, तहसील रायगढ़ तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 7-12-2012 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के [illegible] ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/ प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	109/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	112	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	105/1	0.17
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	512/1	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	106	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	401	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	479	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	482 से 484	0.30
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	75/2	0.17
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	75/3	0.21
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	522/2, 535/1	0.11
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	467	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	67/2	0.34
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	521/6	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	405/26	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	398/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	523/2	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	525/2	0.29
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	67/1	0.17
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	406/5	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	516/1	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	77/5, 79/2	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	405/17	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	396, 397	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	521/1क	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	415/1-2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	406/4	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	109/1	0.17
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	104/2	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	516/4	0.23
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	516/8	0.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	516/5	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	406/8	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	416	0.25
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	485 से 488	0.16
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	524/2	0.21
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	405/23	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	405/3, 405/6	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	405/4	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	85	0.11
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	464	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	106/1	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	521/9	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	405/14	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	528/7	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	524/1	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	518/6	0.25
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	428/1	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	528/4	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	528/3	0.22
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	528/6	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	526/1	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	398/1	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	425/2	0.27
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	428/2	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	83	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	425/1	0.35
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	110/1	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	519/1-2	0.08
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	520/2	0.11
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	108	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	84	0.13
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	78/2	0.11
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	113	0.18
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	399	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	523/1	0.18
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	520/1	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	105/2	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	526/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	69/1	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	86	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	405/21	0.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	405/15	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	517	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	405/7	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	66	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	518/8	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	405/28	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	भजपुर/21	521/7	0.03
		कुल योग		**8.09**

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा, जिला ज़ांजगीर-चांपा (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

डभरा, दिनांक 4 मई 2013

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 301/2012-13.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा को अधिसूचना क्रमांक 967/2012-13 दिनांक 8-11-2012 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम साराडीह, तहसील डभरा से परिवहन द्वारा ग्राम देवरी, तहसील रायगढ़ तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 7-12-2012 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/ प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	76/1	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	76/2	0.14
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	76/3	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	96/5क	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	96/5ख	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	96/9	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	96/4	0.20
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	97/5	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	142/1	0.28
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	100	0.07
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	108/1	0.73
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	108/2	0.18
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	603/3	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	107/1	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	141/2	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	141/1	0.21
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	147/1, 2	0.20
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	608/1	0.13
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	608/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	607	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	600/1	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	605/2	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	605/3	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	605/4	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	604/3	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	603/2	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	597	0.18
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	598/5	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	598/6	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	599/1	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	599/3	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	599/4	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	581/1	0.17
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	281/2	0.18
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	578/1	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	578/2	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	578/3	0.04
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	578/4	0.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	579	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	571	0.43
जांजगीर-चांपा	डभरा	साराडीह/22	606	0.16
		कुल योग		**4.77**

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

डभरा, दिनांक 4 मई 2013

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 307/2012-13.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा को अधिसूचना क्रमांक 965/2012-13 दिनांक 8-11-2012 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम साराडीह, तहसील डभरा से परिवहन द्वारा ग्राम देवरी, तहसील रायगढ़ तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 7-12-2012 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/ प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	413	0.06

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	495/4	0.09
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	507	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	335/2-3-4	0.13
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	15	0.25
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	450/1	0.05
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	427/4	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	505/1	0.24
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	494/2	0.17
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	334/2	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	446	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	427/1	0.12
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	337	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	412/1, 411/1	0.07
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	412/2, 411/2	0.07
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	336/344	0.13
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	447	0.17
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	427/6	0.10
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	414	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	449/1	0.02
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	448	0.01
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	427/2	0.15
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	455	0.07
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	451/1	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	451/2	0.03
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	454	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	453	0.06
जांजगीर-चांपा	डभरा	साल्हे/20	13	0.20
			कुल योग	**2.75**

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

बी. सी. एक्का,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

दाऊ कल्याण सिंह भवन के पास रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मई 2013

क्रमांक एफ 37-21/तीन (एक)-3/पंचा./2013/464.—छ.ग. पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 42 सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा प्रदेश के बिलासपुर संभाग एवं सरगुजा संभाग अंतर्गत परिशिष्ट-एक में दर्शाये गये जिलों के जनपद पंचायत सदस्यों/सरपंचों/पंचों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये उप निर्वाचन मई 2013 हेतु छ.ग. पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार निम्नलिखित समय-अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है :—

क्र.	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तारीख	दिन	समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	(I) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन	28	03-05-2013	शुक्रवार	प्रात: 10.30 बजे
	(II) नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करना	28	03-05-2013	शुक्रवार	प्रात: 10.30 बजे से
	(III) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	29-क	03-05-2013	शुक्रवार	प्रात: 10.30 बजे
	(IV) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	23	03-05-2013	शुक्रवार	प्रात: 10.30 बजे
2.	नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	28 (क)	10-05-2013	शुक्रवार	अपरान्ह 3.00 बजे तक
3.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) करने की तिथि.	28 (ख)	11-05-2013	शनिवार	प्रात: 10.30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	28 (ग)	13-05-2013	सोमवार	अपरान्ह 3.00 बजे तक
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	38, 39	13-05-2013	सोमवार	अपरान्ह 3.00 बजे के बाद
6.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन.	40	13-05-2013	सोमवार	प्रतीक आवंटन के तुरन्त बाद
7.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28 (घ)	24-05-2013	शुक्रवार	प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक
8.	मतगणना (1) मतदान केन्द्रों पर	28 (ङ)	24-05-2013	शुक्रवार	मतदान समाप्ति के बाद
	(2) यदि आवश्यक हो तो तहसील/खण्ड मुख्यालय पर.		25-05-2013	शनिवार	अपरान्ह 3.00 बजे से

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा (1) पंच, सरपंच/जनपद पंचायत सदस्य के मामले में.	28 (च)	26-05-2013	रविवार	प्रात: 9.00 बजे से (खंड मुख्यालय में)

हस्ता./-

(आई. आर. देहारी)
सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
रायपुर.

परिशिष्ट-एक

त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों की संशोधित जानकारी

दिनांक 31 दिसम्बर 2012 की स्थिति में

क्र. (1)	जिला (2)	जिला पंचायत सदस्य (3)	जनपद पंचायत सदस्य (4)	सरपंच (5)	पंच (6)	कुल पदों का योग (7)
1.	बिलासपुर	—	—	6	26	32
2.	मुंगेली	—	1	6	7	14
3.	जांजगीर-चाम्पा	—	2	3	40	45
4.	कोरबा	—	—	2	19	21
5.	सूरजपुर	—	—	3	20	23
6.	बलरामपुर	—	—	2	3	5
7.	सरगुजा	—	2	4	29	35
8.	कोरिया	—	1	1	8	10
9.	रायगढ़	—	1	15	141	157
10.	जशपुर	—	1	5	18	24
	योग	**0**	**8**	**47**	**311**	**366**